

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	: राजस्व विभाग
तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या	: 1420
उत्तर की तिथि	: 26-08-2019
विषय	: धारा-118 में संशोधन
प्रश्नकर्ता का नाम	: श्री वीरभद्र सिंह (अर्की)
सम्बन्धित मन्त्री	: मुख्यमन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) सरकार Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 की धारा-118 में संशोधन करने या इसे समाप्त करने का विचार कर रही है;	जी नहीं।
(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रदेश के लोगों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा; और	(ख) व (ग) उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
(ग) इसमें संशोधन करने से प्रदेश सरकार व हिमाचल के लोगों को क्या फायदा होने की सम्भावना है; ब्यौरा दें ?	